न्यायालय :– प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) मधेपुरा।

B.P. No.-391/2026
आलमनगर थाना कांड सं.–105/2026

1- दीपक कुमार उम्र करीब 30 वर्ष पिता जय प्रकाश मंडल
(साकिन –श्याम, वार्ड नं.–12, थाना–ग्वालपारा एवं जिला– मधेपुरा)

.....आवेदक।

बनाम्

बिहार सरकार .....प्रतिपक्षी।

17-06-2026 दिनांक 25.04.2026 से काराधीन अभियुक्त **दीपक कुमार** की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन–पत्र दिनांक 22.05.2026 को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सूर्य कुमार सिंहा द्वारा प्रचालित किया गया, जिसकी प्रति विद्वान लोक अभियोजन पदाधिकारी श्री पुरूषोत्तम यादव को दी जा चुकी है।

सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 24.05.2026 को समय करीब 01:20 बजे रात्री में सूचक के पिताजी बैजू मुखिया अपने घर में सोये हुए थे। उसी समय एक चार चक्का वाहन से चार–पॉच अज्ञात व्यक्ति आया और घर के बॉस के किवाड़ में बॉधे रस्सी तोड़ दिया और सूचक के पिताजी को सोये अवस्था में चार से पॉच व्यक्तियों के द्वारा जबरन गाली– गलौज करते हुए उठाकर चार चक्का वाहन में बिठाने लगा। सूचक के पिताजी के द्वारा हल्ला करने पर सूचक सब परिवार के सदस्य उठे और उन्हे रोकने का प्रयास किया तो सूचक लोग के साथ भी गाली–गलौज जान से मारने की धमकी देते हुए सूचक के पिताजी को चार चक्का वाहन में बिठाकर अपहरण कर लिया। उक्त सभी व्यक्तियों का मुँह गमछा से ढका हुआ था। जिस कारण सूचक किसी को पहचान नही पाया। सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध आलमनगर थाना कांड सं.–105/2026 अन्तर्गत धारा– 140(3) एवं 3(5) बी.एन.एस. के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी।

आवेदक अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता श्री सूर्य कुमार सिन्हा का कथन है कि आवेदक का पूर्व से कोई भी अग्रिम जमानत या नियमित जमानत ना तो उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा खारिज नहीं किया है ना ही आवेदक का कोई भी जमानत का आवेदन इस न्यायालय में विचाराधीन है तथा आवेदक का पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। आवेदक निर्दोष हैं तथा दिनांक 24.05.26 से काराधीन है। विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, उदाकिशनुगंज के न्यायालय से दिनांक 02.05.26 को उक्त आवेदक का बेल खारिज हो चुका है। आवेदक को इस मुकदमा में झूठा फॅसाया गया है। आवेदक का नाम एफआईआर में नही है ना ही आवेदके के पास से किसी सामान की जब्ति हुई है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय को संतोषप्रद एवं पर्याप्त राशि का बंध–पत्र एवं प्रतिभू दाखिल करने के लिए तैयार है तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को नियमित जमानत की सुविधा दी जाय।

17-06-2026
लगातार

विद्वान लोक अभियोजन अधिकारी श्री पुरूषोत्तम यादव द्वारा जमानत आवेदन पर घोर आपत्ति किया गया तथा उनके द्वारा कहा गया कि आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध आरोप गंभीर प्रकृति का है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत की सुविधा नहीं दी जा सकती। अतः आवेदक अभियुक्त का जमानत आवेदन–पत्र खारिज किया जाय।

मेरे द्वारा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के उपरांत औपचारिक प्राथमिकी, सूचिका के लिखित आवेदन, मुल अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त पर अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर सूचक के पिता का अपहरण करने का आरोप है। अपहृत बैजू मुखिया बरामद हो चुके है तथा उन्होंने 161 द.प्र.स. के बयान में कहा है कि उसे किसने अपहरण किया पता नहीं। उभयपक्षों के बीच सुलह समझौता हो गया है। सूचक न्यायालय में स्वंय उपस्थित हो कर सुलह का समर्थन करते है। अभियुक्त दिनांक 24.05.26 से काराधीन है।

वाद के उक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को नियमित जमानत का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत होता है, परिणामस्वरूप आवेदक अभियुक्त **दीपक कुमार** को मो0 10,000/–रुपये के दो समान राशि के प्रति–भू के साथ जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश इस निर्देश के साथ दिया जाता है कि अभियुक्त आरोप गठन तक न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेगा।

लेखापित

(संजीव कुमार–II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश– प्रथम,
सह–स्पेशल जज, मधेपुरा।